20

receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR
SRI KARANPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015000721 Dated : 31/03/2015
Presenter Name : RAJ KUMAR Face Value : 11100
Presenter Address : HNH (CHAK BARWALI,NOHAR)
Document Type : Trust made for a Relig/Chartiable Purp.
Document S.No. : 2015001125 Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 120	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 130
Surcharge on Stamp Duty	: 30		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 480

-------------------Already Paid-------------------

E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

(Paid) - EGRAS GRN No. : 5683940 / Amount : 480
Deposit Bank : deposit in sbbj skp / Date : 31/03/2015

(Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

(Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date :

(Paid) - SHCIL Recpt No. : / Amount : 0
SHCIL Receipt Date :

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Four Hundred Eighty only

Cashier

Sub Registrar, SRI KARANPUR

Scanned with ACE Scanner

(20)

receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR
SRI KARANPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015000721
Presenter Name : RAJ KUMAR
Presenter Address : HNH (CHAK BARWALI,NOHAR)
Document Type : Trust made for a Relig/Chartiable Purp.
Document S.No. : 2015001125

Dated : 31/03/2015
Face Value : 11100
Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 120	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 130
Surcharge on Stamp Duty	: 30		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 480

--Already Paid--

E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

(Paid) - EGRAS GRN No. : 5683940 / Amount : 480
Deposit Bank : deposit in sbbj skp / Date : 31/03/2015

(Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

(Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date :

(Paid) - SHCIL Recpt No. : / Amount : 0
SHCIL Receipt Date :

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Four Hundred Eighty only

Cashier

Sub Registrar, SRI KARANPUR

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

E 52847

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 30/8/2015 को बनाई गई द्वारा श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह , उम्र व्यस्क, पता :– ग्रा. पो. – बरवाली, तहसील – नोहर, जिला – हनुमानगढ़ (राज.) 335504 स्थापना की है।

1 नाम–इस ट्रस्ट का नाम "अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" रहेगा एवं इसी नाम से जाना जायेगा।

2. **ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय** :– इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **26 – बी – ब्लाक, गॉधी पार्क के पास, श्री करनपुर,** तहसील – **श्री करनपुर, श्री गंगानगर (राज.) 335073** रहेगा। आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार भारत के किसी भी कोने पर इसकी शाखायें खोली जा सकेगी। समय एवं आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय भी बदला जा सकेगा।

3. **ट्रस्ट कार्यक्षेत्र** – इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र **सम्पूर्ण भारत गणराज्य रहेगा।**

4. **उद्देश्य** – ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होगे :–

क्रमशः.......2

Scanned with ACE Scanner

9128 30-3-2015

आज दिनांक 31 माह March सन् 2015 को 17:04 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री RAJ KUMAR पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री HARI SINGH
उम्र 45 वर्ष, जाति DHANAK व्यवसाय BUSI
निवासी HNH (CHAK BARWALI,NOHAR)
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SRI KARANPUR
(2015001125)
(Trust made for a Relig/Chartiable Purp.)

रसीद नं0 2015000721 दिनांक 31/03/2015
पंजीयन शुल्क रू0 120 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200 / –
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 0 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 130 / –
सरचार्ज 30 / –
कुल योग रू0 480 / –

(2015001125) उप पंजीयक, SRI KARANPUR
(Trust made for a Relig/Chartiable Purp.)

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN E 52849

शिक्षा सम्बन्धी : –

1. बालकों के सर्वांगिण विकास एवं प्रसार हेतु प्रारम्भिक स्तर (नर्सरी से उच्च स्तर तक के विद्यालयों प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना एवं इसके लिये साधन जुटाना।)
2. कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार विभीन्न स्थानों पर कम्प्यूटर – ट्रेनींग सेन्टर खोल कर प्रशिक्षण देना। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विभीन्न पाठ्यक्रमो का संचालन कर, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु सक्षम बनाना।
3. सरकार द्वारा निर्धारित रीति–नीति एवं नियमों के अनुसरण में कार्यक्रम को संचालन करना।
4. विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय व छात्रावसों हेतु भूमि भवन आदि की व्यवस्था करना एवं उस पर निर्माण करना । शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, मेडिकल, आयुर्वेदिक एंव इन्जीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करना। आवश्यकता पडने पर विश्वविद्यालय की भी स्थापना करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।
6. नवीन प्रणाली का विकास करना।

क्रमशः.......3

Scanned with ACE Scanner

9128 30-3-2015

प्रब-धक निदेशक - राजकुमार

अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

96-B. ब्लॉक आदर्श पार्क के पास श्रीकरणपुर

हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-RAJ KUMAR/HARI SINGH
Age:45, Caste-DHANAK
Ocu.-BUSI
R/O-HNH (CHAK BARWALI,NOHAR)

2-SUMAN/RAJ KUMAR
Age:38, Caste-DHANAK
Ocu.-HW
R/O-HNH (CHAK BARWALI,NOHAR)

3-SWEETI @ VEERPAL KAUR/NARESH KUMAR
Age:38, Caste-RAMDASIA
Ocu.-HW
R/O-SGNR (HN 65,KARAMCHARI CLONY)

ने लेख्यपत्र Trust made for a Relig/Chartiable Purp.
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री SATAY PAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MAHIPAL SINGH उम्र 52 वर्ष
जाति RAJPOOT व्यवसाय BUSI
निवासी SKP

2. श्री / श्रीमती / सुश्री NARESH KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM ASRA उम्र 41 वर्ष
जाति RAMDASIA व्यवसाय BUSI
निवासी SKP ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015001125) उप पंजीयक, SRI KARANPUR
(Trust made for a Relig/Chartiable Purp.)

7. पुस्तकालय / चल पुस्तकालय एवं बुक बैंक की स्थापना करना।
8. भ्रमण कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोंजन कर खेल कूद को प्रोत्साहन देना ।
9. रोजगारोन्मुखी तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
10. महिला एवं पुरुषों के स्वयं सहायता हेतु संगठन तैयार करना ताकि वे अपनी समस्याओं के लिए लड़ सकें।
11. राष्ट्रिय एकता व साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाये रखने हेतु मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/गिरजाघर/धर्मशालाऐ/मुसाफिरखानों की स्थापना कर संचालन करना।

चिकित्सा सम्बन्धी : –

1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी रुप से लागु करने में सकिय हिस्सा लेकर इनका प्रचार प्रसार कर नागरिको को जागरुक बनाना एवं प्रेरित करना।
2. जन सामान्य को निःशुल्क एवं समुचित चिकित्सा उपलब्ध करने हेतु चिकित्सालय एवं चल चिकित्सालय केन्द्रों की स्थापना करना एवं इन्हें संचालन करना।
3. चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना ।
4. सफाई, स्वच्छता एवं प्रदूषण के संबंध में जन चेतना विकसित करना ।
5. रक्तदान एवं नैत्र दान शिविरों का आयोजन कर लागों को इस हेतु प्रेरित करना।
6. भेटदाता एवं दानदाताओं के सहयोग एवं संस्था की रिती नीति द्वारा गरीबों रोगीयों को निःशुल्क पौष्टिक आहार भेाजन एवं वस्त्र दवाईयां आदि उपलब्ध कराना।
7. परिवार नियोजन बाबत लोगों में जागरुकता पैदा करना।
8. दूर दराज ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रौं में संकामक बीमारीयों (एड्स, क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि) के प्रति जागरुकता पैदा करना व रोकथाम हेतु कार्य करना।
9. स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक व आयामो की स्थापना करना।

क्रमशः......4

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 11100
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 130 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 120 कुल रूपये 480
जरिये रसीद संख्या 2015000721 दिनांक 31/03/2015
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 230
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015001125) उप पंजीयक, SRI KARANPUR
(Trust made for a Relig/Chartiable Purp.)

आज दिनांक 31/03/2015 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 31
में पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 2015000020 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 22
के पृष्ठ संख्या 71 से 87 पर
चस्पा किया गया।

(2015001125) उप पंजीयक, SRI KARANPUR
(Trust made for a Relig/Chartiable Purp.)

Scanned with ACE Scanner

10. ग़रीब व असहाय एव बी.पी.एल. वर्ग परिवारो को रियायती दरो चिकित्सा एवं दवाईया उपलब्ध कराना।

11. रक्तदान एवं नेत्र दान के विषय में जन चेतना विकसित करना एवं इस क्षेत्र में जन सामान्य को सेवा उपलब्ध करवाना।

12. परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम के तहत चिकित्सा व दवाईया व साधनो के प्रयोग पर बल देना।

13. अस्थि विकलांगों को पोलियों करेक्शन ओपरेशन कराना। साथ ही उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास हेतु कार्य करना।

14. मेडीकल कोलेज/पेरामेड़ीकल कोलेज/नर्सींग कोलेज/आयुर्वेद कोलेज/होम्योपेथी कोलेज की स्थापना कर संचालन करना/साथ ही अस्पतालों व छात्रावासों की स्थापना कर संचालन करना।

15. चिकित्सा क्षैत्र में अनुसन्धान कार्य करना।

16 जन सामान्य को रियायतीदरो एवं समुचित चिकित्सा उपलब्ध करने हेतु चिकित्सालय चलाना।

वानिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धी : —

1. चारागाह एवं बंजर भूमि का विकास करना ।
2. पहाडी ढालु क्षेत्रों सतल सड़कों के किनारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना।
3. जल आद्रता वाटर शेड के कार्यकमों का संचालन करना ।
4. भू—संरक्षण क्षेत्रों एवं लेण्ड स्केप क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराना ।
5. वन जीवों को संरक्षण प्रदान करना ।
6. उर्जा के वैकल्पिक साधनों को जुटाना निर्धुम चुल्हों एवं बायो गैस सौर उर्जा के कार्यकमों को प्रोत्साहन देना ।

शामिल दस्तावेज

क्रमशः.......5

7. वन पर्यावरण एवं प्रदूषण पर विचार गोष्ठिया आयोजित कराना निबंध प्रतियोगिताओं, व्याख्यानमाल आदि का आयोजन करना एवं वन पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरुकता लानें हेतु शिविर आयोजित करना।
8. वन पर्यावरण एवं प्रदूषण के विकास एवं विनाश पर अनुसंधान व सर्वे करना।
9. रेशम कीट पालन एवं मधु मक्खी पालन की जानकारी देना एवं इसे संचालित करने का प्रयास करना ।
10. किसान मित्र योजना बनाना ।
11. पर्यावरण परामर्श दाता एवं पर्यावरण सम्बन्धीत पत्र कार्यता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना ।
12. जन जातिय समुदायों को पर्यावरण खतरों के दुषपरिणामों की जानकारी एवं उससे बचने के उपाय की जानकारी देना ।
13. पर्यावरण प्रदुषण एवं प्रबंध की जानकारी देना ।
14. रेशम कीट पालन एवं मधु मक्खी पालन की जानकारी देना एवं इसे संचालित करनें का प्रयास करना ।
15. पर्यावरण परामर्श दाता एवं पर्यावरण सम्बन्धीत पत्र कार्यता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना ।
16. जन जातिय समुदायों को पर्यावरण खतरों के दुष्परिणामों की जानकारी एवं उससे बचने के उपाय की जानकारी देना ।
17. राष्ट्रीय एकता व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु विभिन्न धर्मों हिन्दु, सिख, मुस्लिम, ईसाइ, हेतु मन्दिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारो, धर्मशालाओं का निर्माण करना एवं संचालन करना साथ ही विभिन्न समाजो के गरिब लोगो को विधिक सहायता को उपलब्ध कराना।

शामिल दस्तावेज रह

साहित्य एवं सांस्कृतिक सम्बन्धी : –

1. भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरुप लोगों का मानसिक विकास एवं रुचि जाग्रत करना।
2. सांस्कृतिक धरोहर एवं पुरातत्व महत्व के प्राचीन स्मारकों खण्डारों भवनों एवं स्थानों का संरक्षण करना तथा इस क्षेत्र में कार्यरत सभी माननीय व्यक्तियों, संगठनों एवं राजकीय सहायता व सहयोग से उनका रख रखाव करना।

क्रमशः......6

Scanned with ACE Scanner

3. पर्यटन केन्द्रों की स्थापना पर्यटको को उक्त पुरातत्व महत्व के स्थानों की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना एवं उनकी समस्याओं के निराकरण में सहयोग देना।
4. मित्र राष्ट्रों एवं राज्यों के मित्र क्लबों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सांस्कृतिक आदान प्रादान करना।
5. सांस्कृतिक मेलों, कवि सम्मेलनों, मुशायरों विचार गोष्ठियों सम्पर्क शिविरों एवं सभी कार्यकमों का आयोजन करना जो सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाला हो तथा जो धर्म निरपेक्ष एवं गांधीवादी समाज की संरचना में सहायक हो।
6. भारतीय कला एवं संस्कृति से संबन्धित स्तरीय साहित्य का सृजन एवं जन अभिरुचि एवं जन चेतना हेतु प्रकाशन करना।
7. भारतीय कला लोक कला संगीत एवं संस्कृति के अध्ययन शोघ एवं शिक्षण प्रशिक्षण में योग देना।
8. प्रत्येक त्यौहारों के एतिहासिक भौतिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिकता से अवगत कराते हुए वर्तमान जीवन के अनुसार प्रतिपादित करना।

अन्य :–

1. बालश्रमिक एवं बन्धक मजदुरों के पक्ष में वातावरण तैयार करना एवं इस प्रथा का अन्त करने में सकिय प्रयास करना ।
2. नशाखोरी एवं एड्स के खतरनाक परीणामों से आम आदमी को अवगत कराना व इनके निराकरण के उपाय करना।
3. बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोजन के विरूद्ध वातावरण तैयार कर लोगों को जागरुक बनाना।
4. बाल अपराध एवं वैश्यावृत्ति उन्मुलन कार्यकम चला कर इन्हें प्रशिक्षण दे कर रोजगार उपलब्ध कराना ।
5. परित्यक्ता, विधवा एवं जरुरतमंद महिलाओं को विभिन्न उद्योंगों में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
6. विधवा विवाह, अन्तर जातिय विवाह एवं सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित एवं प्रचलित करना साम्प्रदायिकता के विरुद्ध वातावरण एवं जनमत बनाना ।
7. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का उत्तम तथा सस्ता साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु चल पुस्तकालय की स्थापना तथा राष्ट्रीय हित एवं लोक हित के साहित्य का प्रचार प्रकाशन करना ।

क्रमशः......7

उप पंजीयक

8. पारीवारिक विवादों के निपटारे हेतु संगठित प्रयास करना ।
9. महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करना एवं इनकी भागीदारी समाज में हो सकें इसके लिऐ प्रयास करना ।
10. महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करना एवं इन्हें आत्म निर्भर बनाने के प्रयास करना ।
11. महिलाओं में बचत की आदत डालना एवं बचत समुह का निर्माण संस्था के माध्यम से करना एवं उन्हें संचालित करना ।
12. महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना एवं उन्हें उनके हक दिलाना ।
13. महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एवं हर बच्ची को कम से कम 10 वी तक पढानें हेतु समाज की महिलाओं में जागरुकता लाना ।
14. निराश्रित एवं अनुसुचित जाति/जनजाति के बालकों के सर्वागिण विकास एवं अध्ययन हेतु छात्रावास अध्ययन केन्द्र अनाथ आश्रम आदि की स्थापना कर संचालन करना ।
15. आंगनवाडी केन्द्रों पालना गृह पोषाहार कार्यक्रमों का संचालन करना ।
16. देश विदेश से प्राप्त मिल्क पाउडर वस्त्र आदि निःशुल्क आदिवासी एवं निराश्रित बच्चों में बिना किसी भेदभाव के वितरित करना ।
17. उपभोक्ता संरक्षण हेतु जन चेतना विकसित करना एवं इस हेतु आवश्यक कार्य करना।
18. अकाल बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं मे राहत कार्य चलाना ।
19. दलितों के उद्धार के लियें समाज कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।
20. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।
21. नागरीकों में उद्योग स्थापना के प्रति रुझान पैदा कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ा कर स्वावलम्बन देना।
22. साम्प्रदायिक्ता एवं आतंकवाद से पीड़ित लोगो के पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था करना ।
23. विकलांग, मुक बधिर एवं अन्ध रोग से ग्रस्त बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार की व्यवस्था करना ।

शामिल दस्तावेज

क्रमशः.......8

24. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में आम आदमी को जानकारी देना व योजनाओं की सफल कियान्विति में सहयोग करना।
25. संस्था द्वारा उद्योग स्थापित कर ग्रामोंद्योग को बढ़ावा देना एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना।
26. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग एवं विभिन्न निगमों बैंकों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर कार्यकमों की सफल कियान्विति करना ।
27. महिलाओं को सोफ्ट टोयज बनाने हेतु प्रशिक्षण दे कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
28. हेण्डीकाफ्टस लेदर का कार्य, बांसवेत के कार्य का प्रशिक्षण देना एवं महिला एवं पुरुषों को आत्म निर्भर बनाना।
29. वर्गीकम्पोज का प्रशिक्षण देना।
30. अगरबत्ती, मोमबत्ती एवं अन्य विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना ।
31. वे सभी कार्य करना जो संस्था के हितार्थ हो एवं समाज की भलाई के लिए हो।
32. विभिन्न प्रकार के आयोजित मेलों, प्रदर्शनीयों में भाग लेना एवं महिला एवं पुरुषों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को उजागर करना।
33. गायों के रख –रखाव के लिये गौशाला की स्थापना व संचालन करना।
34. पशुओं के रख–रखाव के लिये पशुघर की स्थापना व संचालन करना।
35. जीवदया की दृष्टि से मुक्त पशु – पक्षियों हेंतु पानी पीने की प्याउ एंव बीमार होने की स्थिति में उनकी देखभाल एवं इलाज कराने की व्यवस्था कराना तथा पशु–बलि–प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रचार–प्रसार करना।

शामिल दस्तावेज है

क्रमश:.......9

उप पंजीयक
श्रीकरणपुर

36. समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करना जिस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, एवं महाविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स का संचालन करना, तकनीकि शिक्षा, पैरामेडीकल कॉलेज, फार्मेसी, डेन्टल के साथ ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक और चिकित्सा से सम्बन्धित सभी प्रकार की शैक्षणिक एवं प्रायोगिक गतिविधियों का संचालन करना तथा हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत तथा अन्य भाषायी विकास के क्षेत्र में कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, विभिन्न प्रकार के भाषा – शिक्षण शिविर का संचालन करना।

विधि सम्बन्धी :–

1. विधिक साक्षरता के तहत जागरूकता लाना।
2. विधिक सहायता एवं कानुनी सलाह के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करना।
3. गरीब व बी.पी.एल. परिवारजन को रियायती दरो पर कानुनी सलाह उपलब्ध कराना।
4. विधिक सहायता व परामर्श में क्षेत्र मे सहायता उपलब्ध कराना।

शामिल दस्तावेज

5 ट्रस्ट की सम्पत्ति :–

1. मैने रूपये **ग्यारह हजार एक सौ** मात्र की उक्त सम्पत्ति से इस ट्रस्ट का सृजन व स्थापना की है। यह धनराशि ट्रस्ट के कार्यों के प्रयोगार्थ समर्पित करता हूँ। ट्रस्ट के निदेशक मण्डल को ट्रस्ट के हित या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त अधिकार प्राप्त होगें जिससे वे इस राशि का उपयोग कर सके।

5. ट्रस्ट के निदेशक मण्डल द्वारा इस ट्रस्ट सम्पत्ति से प्राप्त व संचित आय व अन्य स्त्रोतों (जैसे दान व अनुदान आदि) से समस्त प्राप्तियों को ट्रस्ट विलेख की शर्तो के अनुसार व उसके अधीन रहते हुए इसके उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करेगे। दान से प्राप्त समस्त चल–अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय, रहन सहन उस पर ऋण लेने आदि की कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक की सहमति से बहुमत के आधार पर करने के अधिकार प्राप्त होगे। इससे प्राप्त धनराशि ट्रस्ट कोष में जमा कराई जाकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के उपयोग व उपभोग में व्यय की जायेगी। समर्पण के फलस्वरूप

क्रमशः.......10

Scanned with ACE Scanner

प्राप्त सम्पत्ती, दान व अनुदान पर समर्पित कर्ता को ट्रस्ट द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

6. **श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह, "अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट"** का ट्रस्ट कर्ता मैं स्वयं अपने जीवनकाल में इसका **प्रबन्ध निदेशक** रहूंगा।

7. मेरे देहवसानोपरान्त मेरे द्वारा मनोनीत ही मेरा उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का **प्रबन्ध निदेशक** होगा एवं उसे भी वह सभी अधिकार प्राप्त होगें जो इस ट्रस्ट विलेख द्वारा मुझे प्राप्त है।

8 मुझ ट्रस्ट कर्ता व मेरे उत्तराधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् इस ट्रस्ट का **प्रबन्ध निदेशक** ऐसा ट्रस्टी हो सकेगा जिसे मैं अथवा मेरे पश्चात् मेरा उत्तराधिकारी **प्रबन्ध निदेशक** अपनी वसीयत या अन्य प्रलेख, विलेख द्वारा अधिकृत कर नियुक्ति करें। उपर्युक्त नामांकन अधिकरण के अभाव में ट्रस्ट के निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति या बहुमत से **प्रबन्ध निदेशक** का निर्वाचन होगा।

9. वर्तमान ट्रस्ट के निदेशक मण्डल आयोजन ट्रस्टी रहेगें परन्तु शारीरिक अवाकृता, मानसिक विकृति, स्थायी बिमारी अपराध में सजा होने या स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर मुझ ट्रस्ट कर्ता को **"अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट"** के हित में सम्बन्धित व्यक्ति को ट्रस्ट के निदेशक मण्डल की सदस्यता से मुक्त करने का अधिकार होगा और मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे उत्तराधिकारी **प्रबन्ध निदेशक** को होगा।

10. ट्रस्ट के निदेशक मण्डल के रिक्त स्थान की पूर्ति का अधिकार मुझ ट्रस्ट **प्रबन्ध निदेशक** को होगा एवं जिस किसी महानुभाव को मैं ट्रस्ट के हित में उपर्युक्त समझूंगा मनोनीत कर निदेशक के रुप में अधिकृत करूंगा/करूंगी। मेरे पश्चात् मेरा उत्तराधिकारी भी इन्हीं अधिकारों व शक्तियों का उपयोग कर सकेगा। **"अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट"** के **प्रबन्ध निदेशक** सहित निदेशक मण्डल के समस्त सदस्य सदैव रहेगें एवं ट्रस्ट के निदेशक मण्डल के रिक्त स्थानों की पूर्ति तक शेष ट्रस्ट के निदेशक मण्डल ही प्रवत कार्यों का संचालन करेंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति तीन माह की अवधि तक होनी अनिवार्य है।

11. ट्रस्ट के हित में **"अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट"** के आजीवन **प्रबन्ध निदेशक** के रूप में मेरे द्वारा ट्रस्ट के निदेशक मण्डल में किया गया परिवर्तन,सदस्यता समाप्ति या नये सदस्य का मनोनयन वैध माना जायेगा।

12 विवाद की स्थिति में मुझ ट्रस्ट कर्ता **प्रबन्ध निदेशक** द्वारा किया गया **निर्णय अन्तिम व मान्य** होगा।

शामिल दस्तावेज रहे

तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक
श्रीकरणपुर

क्रमशः.......11

Scanned with ACE Scanner

12. देशकाल और परिस्थिति अनुसार ट्रस्ट के **प्रबन्ध निदेशक** राजकीय कार्यों, मुकदमों, विवाद सम्बन्धी अवस्थाओं या प्रतिनिधित्व करने जैसे कार्यों में स्वयं या अन्य निदेशक को अधिकृत करने या अन्य किसी भी योग्य व्यक्ति को ट्रस्ट की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि बनाया जा सकेगा। कानूनी कार्यवाही या दावें या विवाद की स्थिति में ट्रस्ट के नाम से ही जवाबदेही निर्णय या समझौते होगें। विधिक स्थिति में न्याय क्षेत्र **श्री गंगानगर** होगा।

15. **ट्रस्ट का निदेशक मण्डल :—**

15.1 चूंकि ट्रस्ट की स्थापना **श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह,** ने की है। उनकी इच्छानुसार निम्नांकित **ट्रस्ट का निदेशक मण्डल** रहेंगा—

15.2 **निदेशक दो** प्रकार के होगें। एक तो **आजीवन निदेशक** और दूसरें ट्रस्ट के निदेशक मण्डल द्वारा **मनोनीत निदेशक** ।

15.2.1 आजीवन **निदेशक** निम्न होगे :—

क्र.सं.	नाम पिता / पति का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह	ग्रा. पो. – बरवाली, तहसील – नोहर, जिला – हनुमानगढ़ (राज.)	
2	श्रीमती सुमन पत्नि श्री राजकुमार	ग्रा. पो. – बरवाली, तहसील – नोहर, जिला – हनुमानगढ़ (राज.)	
3	श्रीमती स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर पत्नि श्री नरेश कुमार	वार्ड न. 17, मकान न. – 65, कर्मचारी कॉलोनी, श्री गंगानगर (राज.) 335073	

2.2 उपरोक्त सभी आजीवन निदेशक मिलकर अन्य 10 मनोनीत निदेशक का मनोनयन करेंगे जो कि इस ट्रस्ट के उद्देश्यों में आस्था व निष्ठा रखने वाले होगे।

शामिल दस्तावेज रहे

क्रमशः......12

Scanned with ACE Scanner

16. निदेशक मण्डल के अलावा ट्रस्ट के साधारण सदस्यों की संख्या असिमीत रहेगी। समय–समय पर सदस्यता अभियान भी चलाया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक जिनकों उचित समझेंगें। वह ही सदस्यता प्राप्त कर सकेंगें। सदस्यता सम्बन्धीत अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक का ही रहेगा। जो कि सर्वमान्य रहेगा। साधारण सदस्य को निदेशक मण्डल मे शामिल नही किया जा सकेगा।

17. सभी निदेशक मण्डल मानद ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने कर्तव्यों के पालन करने में अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा ट्रस्ट के वास्ते किये गये खर्च का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

18. यदि ट्रस्ट का प्रबन्ध निदेशक / अन्य निदेशक ट्रस्ट को पुर्णकालीक या अंशकालीक के रूप में अपनी सेवाएं ट्रस्ट के कार्यों में देते है तो वे सेवाओं के बदले में ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त कर सकेगे। कोई भी निदेशक ट्रस्ट की सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा साथ ही ट्रस्ट की प्रतिभूति पर कोई निदेशक ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगें।

19 ट्रस्ट अपने कोष का विनियोग भूमि–भवन इत्यादि में कर सकेगा। विनियोग से होने वाली आय का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा। ट्रस्ट के नियमित आय के स्त्रोत बनाये रखने के लिए ट्रस्ट द्वारा व्यापारिक, औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। उक्त गतिविधियों से प्राप्त अधिशेष का उपयोग ट्रस्ट के स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति अथवा अन्य समान उद्देश्यों वाली ट्रस्ट को सहायतार्थ किया जा सकेगा। ट्रस्ट अपनी आय बढ़ाने हेतु नियम व उपनियम बना सकेगी एवं ट्रस्ट की आय बढ़ा सकेगी जिसका उपयोग ट्रस्ट के लिए ही होगा।

20 .समय–समय पर ट्रस्टी अपने प्रभाव एवं व्यवहार से समृद्ध व्यक्तियों, ट्रस्टों एवं राजकीय कोष / विदेशी सहयोग, अनुदान एवं चन्दा प्राप्त कर ट्रस्ट फण्ड में बढ़ोतरी कर सकेगा।

ट्रस्ट का कार्यक्रम :— वर्ष में एक मीटिंग करना आवश्यक होगा। इस ट्रस्ट के वर्तमान मे 3 आजीवन निदेशक है।

समस्त आजीवन निदेशक मिलकर 5 अन्य निदेशकों का मनोनयन कर सकेंगे।

क्रमशः......13

मनोनीत निदेशकों का कार्यकाल केवल दो वर्ष रहेगा। जो उनकी नियुक्ति से गिना जायेगा एवं अवधि समाप्ति पर नियुक्त हुए निदेशकों को पुनः मनोनीत भी किया जा सकेगा।

ट्रस्ट के कार्य को चलाने के लिए प्रबन्ध निदेशक किसी भी ट्रस्टी / निदेशक को वित्त / प्रशासन / प्रोजेक्ट / जन सम्पर्क का दायित्व देकर नियुक्त कर सकेगा।

ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जाएगा जिसका संचालन प्रबन्ध निदेशक **श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह**, द्वारा होगा जिससे बैंक का कार्य किया जा सकेगा।

21. ट्रस्ट का हिसाब वर्ष 1 अप्रेल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक रहेगा।

22. **समापन** :— यदि किसी कारणवश ट्रस्टी / निदेशक मण्डल उक्त ट्रस्ट को चलाने में असमर्थ हो तो समान उद्देश्यों वाली किसी भी ट्रस्ट में उक्त ट्रस्ट को सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर समन्वय कर सकेगी।

23. **कानूनी व्यवस्था** :— यह ट्रस्ट अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी वाद, अपील, रिविजन, रिव्यू इत्यादि कर सकेगी तथा उक्त कार्य हेतु निदेशक मण्डल जिस किसी निदेशक को अधिकृत करेगें। उसका प्रस्ताव लेकर अधिकृत कर सकेगें तथा सामान्य अवस्था में प्रबन्ध निदेशक उक्त सभी कार्य कर सकेगा तथा किसी अन्य द्वारा ट्रस्ट पर वाद दायर करने की स्थिति में ट्रस्ट के प्रबन्ध निदेशक को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाना आवश्यक होगाऔर वह ही अपने हस्ताक्षर से दावा, जवाब दावा, रिविजन, रिव्यू, अपील इत्यादि पर हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा विवाद की स्थिति में आर्विटेशन के माध्यम से विवाद को निपटाया जा सकेगा।

24. ट्रस्ट को राजस्थान ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया जाएगा।

25. **ट्रस्टियों की स्वीकृति** :—

क्र.सं.	ट्रस्टियों के नाम	उम्र	हस्ताक्षर
1	श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह	व्यस्क	
2	श्रीमती सुमन पत्नि श्री राजकुमार	39 वर्ष	
3	श्रीमती स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर पत्नि श्री नरेश कुमार	व्यस्क 38 वर्ष	

क्रमशः......14

14—
30/3/2015

यह ट्रस्ट आज दिनांक निदेशकगण स्वस्थचित्त, स्व–विवेक, स्वेच्छा से ट्रस्टियों / निदेशक मण्डल से विचार–विमर्श कर निष्पादित कर दी है और सहमतिस्वरूप सभी ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा दिये है जिसे मानने हेतु समस्त ट्रस्टी / निदेशकगण व उनसे सम्बन्धित हित रखने वाले प्रतिबन्धित होगें।

स्थान :—

दिनांक :—

गवाह :— 1. सत्यपाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड 12 श्रीकरणपुर

2. नरेश कुमार पुत्र राम आसरा रामदासिया निवासी कर्मचारी कालोनी श्रीकरणपुर

(1)

सत्यपाल सिंह

(2)

राजकुमार

शामिल दस्तावेज है

तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक
श्रीकरणपुर